न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **53/2014** अपील (राजस्व)

1. श्री अम्बावा मृतक के बजायः–
 1/1 श्री लक्ष्मण पिता अम्बावा भील निवासी उन्दरीखुर्द तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
 1/2 श्री रमेश पिता अम्बावा भील निवासी उन्दरीखुर्द तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
 1/3 श्री तुलसीराम पिता अम्बावा भील निवासी उन्दरीखुर्द तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
 1/4 श्रीमती केसरी पुत्री अम्बावा भील निवासी उन्दरीखुर्द तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
 1/5 श्रीमती गंगाबाई पुत्री अम्बावा भील निवासी उन्दरीखुर्द तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

—— **अपीलान्ट**

बनाम

1. श्री बदा मृतक के बजायः–
 1/1 श्री कालु पिता बदा भील, निवासी उन्दरीखुर्द तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
 1/2 श्री प्रभु पिता बदा भील, निवासी उन्दरीखुर्द तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
 1/3 श्रीमती चुनकी पत्नि बदा भील, निवासी उन्दरीखुर्द तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
2. श्री भेरा पिता रामा भील, निवासी उन्दरीखुर्द तहसील गिर्वा
3. श्री भग्गीया पिता रामा भील, निवासी उन्दरीखुर्द तहसील गिर्वा
4. श्री लालु पिता रामा भील, निवासी उन्दरीखुर्द तहसील गिर्वा
5. मृतक श्रीमती सीता पिता रामा भील, निवासी उन्दरीखुर्द तहसील गिर्वा
6. श्रीमती अमरती पत्नि रामा भील, निवासी उन्दरीखुर्द तहसील गिर्वा

7. श्रीमती बेतली पुत्री अम्बावा भील निवासी उन्दरीखुर्द तहसील गिर्वा
8. पुनकी पिता अम्बावा, निवासी बारापाल, तहसील गिर्वा
9. श्रीमती भूरी पिता अम्बावा मृतक के बजायः–
 9/1 श्री पुंजा पिता वका भील, निवासी जोगीवाड़ा, बारापाल, तहसील गिर्वा

9/2 श्री लालु पिता पुंजा भील निवासी जोगीवाड़ा, बारापाल, तहसील गिर्वा

10. श्रीमती वकली पिता अम्बावा भील मृतक के बजायः—

10/1 श्री वागा पिता नाम पता नहीं, निवासी उन्दरीकला, तहसील गिर्वा

10/2 श्री प्रभु पिता भगा भील, निवासी उन्दरीकला, तहसील गिर्वा

11. राजस्थान राज्य जरिये तहसील गिर्वा

—— **रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसीलदार गिर्वा, बाबत नामान्तरकरण संख्या 204 दिनांक 20.12.04 मौजा उन्दरीखुर्द तहसील गिर्वा

उपस्थित : श्री खेमराज डांगी, अधिवक्ता अपीलान्टगण

निर्णय

दिनांकः—...................

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिर्वा द्वारा जरिये नामान्तरकरण संख्या 204 दिनांक 20.12.14 से खातेदार अम्बावा पिता भैरा भील के खाते की जमीन के खातेदार श्री अम्बावा पिता भैरा भील को मृत बताकर नामान्तरकरण की कार्यवाही कर रेस्पोडेंटगणो के नाम दर्ज कर दी गई है जबकि मौजा उन्दरीखुर्द के खाता संख्या 12 का खातेदार अम्बावा पिता भैरा भील जीवित हैं और इसी गॉव के खाता संख्या 9 के खातेदार अम्बावा पिता भैरा भील कि दिनांक 13.5.04 को मृत्यु होने से उसकी भूमि के साथ में जीवित अम्बावा पिता भैरा भील की भुमि का भी मृतक अम्बावा के वारिसानो के नाम अपीलीय नामान्तरकरण से दर्ज हो चुकी हैं। जिसकी पुनः पुर्व स्थिति कायम किये जाने के आदेश प्रदान करें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया। बावजुद नोटिस तामिल के रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित रहें। अपील के संबंध में तहसीलदार गिर्वा से जॉच रिपोर्ट मांगी गई। जिनके द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट दिनांक 23.05.17 से बताया गया है कि गॉव उन्दरी में अम्बावा पिता भैरा भील की मृत्यु होने पर नामान्तरकरण संख्या 204 दिनांक 20.12.04 द्वारा खाता संख्या 9 व 12 में उनके वारीसानो के नाम दर्ज कर दिये गये हैं। खाता संख्या 9 में किया गया परिवर्तन सही हैं। जबकि खाता संख्या 12 में हुआ परिवर्तन एक ही नाम व वल्दीयत के खातेदार होने से जीवित अम्बावा पिता भैरा भील के खाते की भुमि भी सहवन से मृतक अम्बावा पिता भैरा भील के वारीसानो के नाम गलत दर्ज हो गई हैं। उक्त नामान्तरकरण प्रशासन आपके द्वारा अभियान में दर्ज होकर स्वीकृत हुआ हैं।

प्रकरण में उपस्थित अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया गया। बहस पर मनन पटवारी की रिपोर्ट के अवलोकन के पश्चात् न्यायालय का मत है कि अपीलीय नामान्तरकरण प्रशासन आपके द्वारा अभियान में दर्ज होकर स्वीकृत हुआ हैं। सहवन से एक ही वल्दियत के दो खातेदारो के नाम समान होने से मृतक खातेदार के वारिसानों के नामान्तरकरण की कार्यवाही में जीवित खातेदार की भूमि भी दर्ज हो चुकी हैं। उक्त कार्यवाही में कोई बदनियती नहीं थी। महज एक ही गॉव में दो वल्दियतो व समान जाती के दो खातेदारो के नाम एक ही होने से ऐसा हुआ हैं।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिर्वा के नामान्तरकरण संख्या 204 दिनांक 20.12.14 मौजा उन्दरीखुर्द को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार गिर्वा

को पुनः प्रतिप्रेषित किया जाकर यह आदेश दिये जाते है कि नये सीरे से पुनः नामान्तरकरण दर्ज कर मृतक अम्बावा पिता भैरा भील की भूमि की सही जॉच कर बाद संतुष्टी ही उनके वैध वारीसानो के नाम नये सीरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही करें एवं जीवित अम्बावा पिता भैरा भील की भूमि पुनः राजस्व रेकार्ड में जीवित खातेदार के नाम पूर्व की भांती दर्ज की जाकर नामान्तरकरण के पूर्व की स्थिति कायम की जावें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार गिर्वा को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर